गोपनीय

2015 का विधेयक सं. 6

राजस्थान वित्त विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 और राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2015 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 3, 7, 8, 12 और 13 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2
राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 24 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 24 में,-

(i) उप-धारा (5) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (5) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (6) के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारण 30.06.2015 तक किया जायेगा।"।

4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 में धारा 80क का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 80 के पश्चात् और विद्यमान धारा 81 के पूर्व निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**80क. कतिपय व्यक्तियों द्वारा सूचना प्रस्तुत करने का दायित्व.-** (1) कोई व्यक्ति जो-

(i) इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से राजस्थान राज्य के भीतर विक्रय या क्रय करता है, या विक्रय या क्रय का इस प्रकार प्रस्ताव करता है जिससे कि वह राजस्थान राज्य के भीतर पहुंच में हो, दृष्टिगत हो या सुना जा सके; या

(ii) इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से राजस्थान राज्य के भीतर किये गये विक्रय या क्रय के अनुसरण में माल का परिवहन करता है, उसे परिवहन के लिए प्राप्त करता है या उसका परिदान करता है; या

(iii) इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से राजस्थान राज्य के भीतर विक्रीत या क्रय किये गये माल के संबंध में, चाहे स्वयं के लिए या विक्रेता या क्रेता के निमित्त, कोई रकम प्राप्त करता है,

ऐसी सूचना, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसी रीति से, और ऐसे समय के भीतर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जैसाकि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाये, प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवायेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित कालावधि के भीतर-भीतर सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वह शास्ति के रूप में एक लाख रुपये से अनधिक की राशि संदत्त करने का, और निरंतर व्यतिक्रम के मामले में ऐसी निरंतरता के प्रत्येक दिवस के लिए एक हजार रुपये की और शास्ति संदत्त करने का, भागी होगा।"।

अध्याय 3

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 में संशोधन

5. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 12 का संशोधन.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 12 की विद्यमान उप-धारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1)(क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन अपने दायित्व का निर्धारण करेगा और ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जो, विहित किया जाये, और विवरणी को विलम्ब से दिये जाने के लिए पचास हजार रुपये से अनधिक की यथाविहित विलम्ब फीस के साथ, निर्धारण प्राधिकारी को या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विवरणी देगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यवहारी, जिससे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसा करने की नोटिस द्वारा अपेक्षा की जाये, विवरणी, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विनिर्दिष्ट किया जाये, देगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां आयुक्त की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है वहां वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विवरणियां प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ा सकेगा या व्यवहारी या व्यवहारियों के वर्ग द्वारा कोई भी या समस्त विवरणियां फाइल करने की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा।"।

6. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 35 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 35 में,-

(i) उप-धारा (1) का विद्यमान खण्ड (क) हटाया जायेगा;

(ii) उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) जान-बूझकर असत्य विवरणी प्रस्तुत करता है; या"।

अध्याय 4

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 में संशोधन

7. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की उप-धारा (1) में,-

(i) खण्ड (झ) में विद्यमान अभिव्यक्ति "मनोरंजन," के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अतिरिक्त बिस्तर" के पूर्व अभिव्यक्ति "स्पा, मालिश," अंत:स्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान खण्ड (ञ) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ट) के पूर्व निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ञक) "विवाह हॉल" से कोई होटल अभिप्रेत है, जिसमें साधारणतया विवाह से संबंधित उत्सव आयोजित करने के प्रयोजन के लिए कोई निवास स्थान या स्थान कारबार के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है;"।

8. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में धारा 4क का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4 के पश्चात् और विद्यमान धारा 5 के पूर्व, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**4क. कर के बदले एकमुश्त राशि का संदाय.-** (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार, ऐसे विवाह हॉल में उपलब्ध करवाये गये विलासों के संबंध में, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जायें, कर का संदाय एकमुश्त राशि में किये जाने के विकल्प का उपबंध कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट एकमुश्त राशि में कर धारा 4 की उप-धारा (1) में यथा उपबंधित अधिकतम कर दायित्व की सीमा से अधिक नहीं होगा।"।

9. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत होटलवाला इस अधिनियम के अधीन अपने दायित्व का निर्धारण करेगा और ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जो, विहित किया जाये, और विवरणी को विलम्ब से दिये जाने के लिए पचास हजार रुपये से अनधिक की यथाविहित विलम्ब फीस के साथ, विलास कर अधिकारी को या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विवरणी देगा।"।

10. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 21 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 21 की विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी।

अध्याय 5
राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 में संशोधन

11. 2004 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 (2004 का अधिनियम सं. 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक रुपया" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 6
राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

12. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की अनुसूची में,-

(i) अनुच्छेद 3 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रूपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) अनुच्छेद 4 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बीस रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) अनुच्छेद 5 के खण्ड (घ) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "उधार या ऋण की रकम का 0.1 प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उधार या ऋण की रकम का 0.15 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) अनुच्छेद 6 के खण्ड (क) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "उधार या ऋण की रकम का 0.1 प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उधार या ऋण की रकम का 0.15 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(v) विद्यमान अनुच्छेद 13 के पश्चात् और विद्यमान अनुच्छेद 14 के पूर्व निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**13-क. बैंक गारंटी**, अर्थात् किसी संविदा के सम्यक् पालन या किसी दायित्व के सम्यक् निर्वहन को प्रतिभूत करने के लिए किसी बैंक द्वारा प्रतिभू के रूप में निष्पादित गारंटी विलेख।	अधिकतम 25000/- रुपये के अध्यधीन रहते हुए, प्रतिभूत रकम का 0.25 प्रतिशत।";

(vi) विद्यमान अनुच्छेद 35 के पश्चात् और विद्यमान अनुच्छेद 36 के पूर्व निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**35-क.** आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित **अनुज्ञप्ति,** अर्थात् आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 54) के उपबंधों के अधीन आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण को साक्ष्यित करने वाला दस्तावेज,-	
(क) निम्नलिखित आयुधों से संबंधित अनुज्ञप्ति:-	
(i) रिवाल्वर या पिस्तौल	तीन हजार रुपये।
(ii) राइफल	एक हजार पांच सौ रुपये।
(iii) डी.बी.बी.एल. शस्त्र	एक हजार रुपये।
(iv) एस.बी.बी.एल. शस्त्र	एक हजार रुपये।
(v) एम.एल. शस्त्र	पांच सौ रुपये।

(ख) आयुध नियम, 1962 की अनुसूची 3 में यथा उपवर्णित निम्नलिखित प्ररूपों पर, आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति:-	
(i) प्ररूप 11	दस हजार रुपये।
(ii) प्ररूप 12	दस हजार रुपये।
(iii) प्ररूप 13	पांच हजार रुपये।
(iv) प्ररूप 14	तीन हजार रुपये।
(ग) निम्नलिखित आयुधों से संबंधित अनुज्ञप्ति का नवीकरण:-	
(i) रिवाल्वर या पिस्तौल	एक हजार रुपये।
(ii) राइफल	सात सौ पचास रुपये।
(iii) डी.बी.बी.एल. शस्त्र	पांच सौ रुपये।
(iv) एस.बी.बी.एल. शस्त्र	पांच सौ रुपये।
(v) एम.एल. शस्त्र	एक सौ रुपये।
(घ) आयुध नियम, 1962 की अनुसूची 3 में यथा उपवर्णित निम्नलिखित प्ररूपों पर, आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति का नवीकरण:-	
(i) प्ररूप 11	तीन हजार रुपये।
(ii) प्ररूप 12	तीन हजार रुपये।
(iii) प्ररूप 13	दो हजार रुपये।
(iv) प्ररूप 14	एक हजार रुपये।";

(vii) अनुच्छेद 44 के खण्ड (क) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास रूपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(viii) अनुच्छेद 44 के खण्ड (ख) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास रूपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ix) अनुच्छेद 44 के खण्ड (ग) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रूपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(x) अनुच्छेद 44 के खण्ड (घ) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रूपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(xi) अनुच्छेद 48 के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) जहां निर्मुक्ति विलेख कुटुम्ब के किसी सदस्य के द्वारा या पक्ष में निष्पादित किया गया हो।	पांच सौ रुपये।

स्पष्टीकरण.- "कुटुम्ब के सदस्य" से पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई, बहिन, पूर्वमृत भाई की पत्नी या संतानें, पूर्वमृत बहिन का पति या संतानें, पूर्वमृत पुत्र की पत्नी और पूर्वमृत पुत्र या पूर्वमृत पुत्री की संतानें अभिप्रेत हैं।"।

अध्याय 7
राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 में संशोधन

13. 2014 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 56 का संशोधन.- राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 14) की धारा 56 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विनिर्दिष्ट करे," के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर," के पूर्व अभिव्यक्ति "ऐसे व्यवहारी द्वारा" अन्त:स्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 24 की उप-धारा (5) यह उपबंधित करती है कि निर्धारण, सुसंगत वर्ष के समाप्त होने से दो वर्ष के भीतर-भीतर किये जाने चाहिएं। निर्धारण वर्ष 2011-12 में आगत कर मुजरा का मिलान न हो पाने वाले प्रकरण बड़ी संख्या में हुए हैं। निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारणों में आगत कर मुजरा का मिलान न हो पाने वाले प्रकरणों को कम करने के लिए व्यवहारियों को उनकी विवरणियों और आगत कर मुजरा का मिलान न होने को देखने और तब इस मिलान न होने को कम करने के लिए विवरणियां पुनरीक्षित करने हेतु अवसर दिया गया था। इस प्रयोजन के लिए, निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए विवरणियां फाइल करने और विवरणियां पुनरीक्षित करने की अंतिम तारीख को 15 सितम्बर, 2014 तक बढ़ाया गया था। इससे वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारण आरम्भ करने में विलम्ब हुआ। इसलिए, वर्ष 2012-13 के निर्धारण के लिए समय-सीमा को 31.03.2015 से बढ़ाकर 30.06.2015 किया जाना प्रस्तावित है।

सूचना प्रौद्योगिकी में उन्नति होने के कारण, ई-वाणिज्य, माल के विक्रय या क्रय का एक महत्वपूर्ण ढंग बन गया है। ऐसे कारबारों के बारे में सूचना एकत्र करने की दृष्टि से, जिससे कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन कर दायित्व अभिनिश्चित किया जा सके, एक सामर्थ्यकारी उपबंध किया जाना ईप्सित है। तदनुसार, उक्त अधिनियम में एक नयी धारा 80क अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अधीन एक समान विवरणी रखने और विवरणी फाइल करने की प्रक्रिया में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के उपबंधों के साथ एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 12 और 35 में संशोधन किये जाने प्रस्तावित हैं।

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 के अधीन वर्तमान में विवाह हॉलों में उपलब्ध करवाये गये विलास कराधेय हैं क्योंकि विवाह हॉल उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन होटल की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं। विवाह हॉलों के स्वत्वधारियों के लिए कर के प्रशमन का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए एक सामर्थ्यकारी उपबंध किया जाना ईप्सित है और साथ ही शब्द "विवाह हॉल" को परिभाषित किया जाना भी प्रस्तावित है। तदनुसार, धारा 2 की उप-धारा (1) में एक नया खण्ड (ञक) और एक नयी धारा 4क अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित हैं।

होटलों द्वारा स्पा और मालिश की सेवाएं भी उपलब्ध करायी जा रही हैं, अत:, होटल में उपलब्ध कराये गये विलास की परिभाषा में स्पा और मालिश को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अधीन एक समान विवरणी रखने और विवरणी फाइल करने की प्रक्रिया में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के उपबंधों के साथ एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 16 और 21 में संशोधन किये जाने प्रस्तावित हैं।

राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004

राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 की धारा 3 की उप-धारा (2) में उक्त अधिनियम के अधीन उपकर की दर की अधिकतम सीमा उपबंधित है। वर्तमान में, उपकर की दर की अधिकतम सीमा एक रुपया प्रति लीटर है। इस अधिकतम दर को बढ़ाकर तीन रुपये प्रति लीटर किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

दत्तक विलेख पर स्टाम्प शुल्क एक सौ रुपये से बढ़ाकर तीन सौ रुपये किये जाने के लिए राजस्थान स्टाम्प शुल्क अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 3 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

शपथ-पत्र पर स्टाम्प शुल्क दस रुपये से बढ़ाकर बीस रुपये किये जाने के लिए उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 4 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

किसी बैंक या वित्तीय कंपनी द्वारा दिये गये किसी उधार या ऋण के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने से संबंधित करार या करार के ज्ञापन पर स्टाम्प शुल्क की दर को उधार या ऋण की रकम के 0.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत किये जाने के लिए उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (घ) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

उधार में अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण चुकाये जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में किये गये हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम या गिरवी से संबंधित करार या कोई भी अन्य दस्तावेज, यदि ऐसा उधार या ऋण, मांग पर या ऐसे समय पर, जो करार या हक विलेखों के निक्षेप के सबूत को साक्ष्यित करने वाली लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक है, प्रतिसंदेय है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क की दर को 0.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत किये जाने के लिए उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 6 के खण्ड (क) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

किसी संविदा के सम्यक् पालन या किसी दायित्व के सम्यक् निर्वहन को प्रतिभूत करने के लिए किसी बैंक द्वारा प्रतिभू के रूप में निष्पादित बैक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क की एक पृथक् और विनिर्दिष्ट दर उपबंधित करने के लिए उक्त अधिनियम की अनुसूची में एक नया अनुच्छेद 13-क अन्त:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

आयुध अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अधीन आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण को साक्ष्यित करने वाले दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क का उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम की अनुसूची में एक नया अनुच्छेद 35-क अन्त:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

मुख्तारनामे पर स्टाम्प शुल्क की दर को निम्नलिखित रूप से बढ़ाने के लिए उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 44 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है-

(क) जब वह एक ही संव्यवहार से संबंधित एक या अधिक दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण उपाप्त करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए या ऐसे एक या अधिक दस्तावेजों का निष्पादन स्वीकृत करने के लिए निष्पादित किया गया है तो पचास रुपये से एक सौ रुपये;

(ख) जब वह एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को खण्ड (क) में वर्णित मामले से भिन्न किसी एक ही संव्यवहार में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है तो पचास रुपये से एक सौ रुपये;

(ग) जब वह पांच से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्तत: और पृथक्त: एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणत: कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है तो एक सौ रुपये से दो सौ रुपये;

(घ) जब वह पांच से अधिक किन्तु दस से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्तत: या पृथक्त: एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणत: कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है तो एक सौ रुपये से दो सौ रुपये।

स्टाम्प शुल्क को 100/- रुपये से बढ़ाकर 500/- रुपये करने और साथ ही साथ कुटुंब के सदस्यों को परिभाषित करने के लिए, ताकि संबंधियों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जा सके, जिनके पक्ष में निष्पादित कोई निर्मुक्ति विलेख उक्त खण्ड में विनिर्दिष्ट दर पर स्टाम्पित किये जाने योग्य होगा, उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 48 के खण्ड (क) को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 की धारा 56 राज्य सरकार को, विनिर्दिष्ट माल के विक्रय या क्रय पर और विनिर्दिष्ट दर पर अवसंरचना विकास उपकर का उद्ग्रहण करने के लिए, सशक्त करती है, किन्तु यह व्यवहारियों के विनिर्दिष्ट वर्ग पर उपकर उद्गृहीत करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त नहीं करती। अत:, व्यवहारियों के विनिर्दिष्ट वर्ग पर उपकर उद्गृहीत करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने हेतु एक सामर्थ्यकारी उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश

[सं.प.12(23)वित्त/कर/2015 दिनांक 09.03.2015
प्रेषक: श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर]

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2015 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित और प्रचलित किये जाने की सिफारिश की है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 5, जो राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 12 की उप-धारा (1) को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को, वह कालावधि, प्ररूप, रीति और समय, जिसमें किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा विवरणी दी जायेगी और वह विलम्ब फीस, जो विवरणियां विलंब से दिये जाने के लिए संदेय होगी, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 9, जो राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 की धारा 16 की उप-धारा (1) को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को, वह कालावधि, प्ररूप, रीति और समय, जिसमें किसी रजिस्ट्रीकृत होटलवाले द्वारा विवरणी दी जायेगी और वह विलम्ब फीस, जो विवरणियां विलम्ब से दिये जाने के लिए संदेय होगी, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है और ब्यौरे के विषयों से सबंधित है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

24. निर्धारण.- (1) से (4) XX XX XX

(5) इस धारा के अधीन कोई भी निर्धारण आदेश सुसंगत वर्ष के समाप्त होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा। तथापि, आयुक्त, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी विशेष मामले में ऐसी समय-सीमा को छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढा सकेगा।

(6) XX XX XX

XX XX XX XX

2. राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

12. विवरणियां और निर्धारण.- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी और ऐसा अन्य व्यक्ति जिससे निर्धारण प्राधिकारी के द्वारा नोटिस की मार्फत ऐसा करने की अपेक्षा की जाये, निर्धारण प्राधिकारी को ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति से ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए, जैसी विहित की जायें, एक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) इसके पूर्व कि कोई भी व्यवहारी उप-धारा (1) के अधीन कोई भी विवरणी प्रस्तुत करे, वह अपनी लेखा पुस्तकों के आधार पर अपने द्वारा संदेय कर, उसमें से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पहले से ही संदत्त कर दिये गये किसी भी कर को घटाकर, जमा करायेगा और विवरणी के साथ-साथ ऐसे कर का संदाय करने का समाधानप्रद सबूत पेश करेगा और अंतिम निर्धारण किये जाने के पश्चात् इस प्रकार संदत्त कर की रकम अंतिम रूप से निर्धारित कर के प्रति संदत्त की हुई समझी जायेगी।

(3) से (9) XX XX XX

XX XX XX XX

35. अपराध और शास्तियां.- (1) जहां कोई भी व्यक्ति,-

(क) माल का व्यवहारी होते हुए, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों द्वारा यथा-अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराने के लिये बाध्य होते हुए, स्वयं को इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं कराता है; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन उस पर निर्धारित किसी भी कर या उद्‌गृहीत किसी शास्ति का संदाय अनुज्ञात समय के भीतर-भीतर करने में विफल रहता है; या

(घ) स्थानीय क्षेत्रों में आयातित माल के सत्य और पूर्ण लेखे रखने में विफल रहता है; या

(ङ) इस अधिनियम के अधीन जारी किसी भी नोटिस की अनुपालना करने में विफल रहता है; या

(च) इस अधिनियम के अधीन यथा-अपेक्षित कोई विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(छ) धारा 29 के उपबंधों के अनुसार विक्रयाधिकार पत्र या कैश मेमो जारी करने में विफल रहता है,

निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को ऐसी शास्ति का संदाय करने का निदेश दे सकेगा, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी, किन्तु पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी।

(2) कोई व्यक्ति जो,-

(क) जान-बूझकर असत्य विवरणी प्रस्तुत करता है या इस अधिनियम के अधीन पहले से ही निर्धारिती न होते हुए, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों द्‌वारा यथा-अपेक्षित कोई विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ख) जान-बूझकर इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित, कोई असत्य विवरण प्रस्तुत करता है; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन उस पर निर्धारित किसी भी कर या उससे शोध्य किसी अन्य राशि का संदाय करने से कपटपूर्वक बचता है; या

(घ) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में कोई कार्य करता है,

दोष सिद्ध किये जाने पर, ऐसे किसी भी कर की वसूली के अतिरिक्त, जो उससे शोध्य हो सकेगा, ऐसे साधारण कारावास से, जो बारह मास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, और जब अपराध चालू रहे तो अपराध के चालू रहने

की कालावधि के दौरान एक सौ रुपये प्रतिदिन से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

XX XX XX XX

3. राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990
(1996 का अधिनियम सं. 9) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) से (ज) XX XX XX

(झ) "किसी होटल में उपलब्ध कराया गया विलास" से किसी होटल में का स्थान (जैसे कक्ष या अन्य स्थान या लॉन इत्यादि चाहे उसका नाम कुछ भी हो) और अन्य सेवाएं, जिसमें वातानुकूलन, कूलर, हीटर, गीजर, टेलीविजन, रेडियो, संगीत, मनोरंजन, अतिरिक्त बिस्तर, लिनन सामग्रियां और ऐसी ही चीजें सम्मिलित हैं, अभिप्रेत हैं, जिनके लिए प्रभारों की दर प्रतिदिन या उसके भाग के लिए सात सौ पचास रुपये या उससे अधिक हैं,

स्पष्टीकरण: (i) दिन के अंतर्गत दिन का भाग है।

(ii) कक्ष के अंतर्गत लॉन है।

(ञ) से (फ) XX XX XX

(2) से (16) XX XX XX

XX XX XX XX

16. विवरणी फाइल करना.- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत होटलवाला, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर-भीतर, और ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाये, विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) से (3) XX XX XX

XX XX XX XX

21. शास्तियों का अधिरोपण.- (1) XX XX XX

(2) यदि विलास-कर अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही के अनुक्रम में इस बात का समाधान हो जाये कि कोई भी होटलवाला किसी उचित हेतुक के बिना, धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर-भीतर विवरणी देने में विफल रहा है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा होटलवाला

उसके द्वारा संदेय कर, यदि कोई हो, की रकम के अतिरिक्त उस कालावधि के लिये जिसके कि दौरान ऐसी विवरणी देने में व्यतिक्रम जारी रहा है, प्रतिदिन पांच रुपये का संदाय शास्ति के रूप में करेगा किन्तु यह शास्ति संबंधित कालावधि के लिये निर्धारित कर के कुल मिलाकर 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(3) से (8) XX XX XX

XX XX XX XX

4. राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 (2004 का अधिनियम सं. 13) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

3. उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण.- (1) XX XX XX

(2) उप-धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर राज्य में उत्तरोत्तर विक्रयों की आवलियों में ऐसे एकल बिन्दु पर होगा जो विहित किया जाये और एक रुपया प्रति लीटर से अनधिक की ऐसी दर से उद्गृहीत किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाये।

(3) से (5) XX XX XX

XX XX XX XX

5. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

अनुसूची (धारा 3 देखिए)

लिखतों का वर्णन	**उचित स्टाम्प शुल्क**
1	**2**
1. से 2. XX XX	XX
3. दत्तक विलेख, अर्थात् कोई लिखत (विल से भिन्न) जो दत्तक-ग्रहण के अभिलेख स्वरूप है या दत्तक-ग्रहण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करती है या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है।	एक सौ रुपये।
4. शपथ-पत्र, जिसके अन्तर्गत, उन व्यक्तियों के मामले में, जो शपथ लेने के बजाय प्रतिज्ञान करने या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात हैं, कोई प्रतिज्ञान या घोषणा है।	दस रुपये।

छूटें:

लिखित रूप में शपथ-पत्र या घोषणा जब कि वह-

(क) भारतीय सेना या भारतीय वायुसेना में भर्ती के लिए शर्त के रूप में; या

(ख) किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय में अधिकारी के समक्ष फाइल किये जाने या उपयोग में लाये जाने के तत्काल प्रयोजन के लिए; या

(ग) किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के एक मात्र प्रयोजन के लिए, की गयी है।

5. करार या करार का ज्ञापन-

(क) से (ग)	XX XX	XX
(घ) यदि वह किसी बैंक या वित्तीय कम्पनी द्वारा दिये गये किसी उधार या ऋण के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने से संबंधित है;		उधार या ऋण की रकम का 0.1 प्रतिशत।
(ङ) से (छ)	XX XX	XX

6. ऐसे हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम् या गिरवी से संबंधित करार या कोई भी अन्य दस्तावेज (ज्ञापन इत्यादि) अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित कोई भी दस्तावेजी सबूत:-

(1) ऐसे हक-विलेखों या लिखतों का निक्षेप जिससे किसी भी संपत्ति पर विपण्य प्रतिभूति से भिन्न हक या साक्ष्य हो जाता हो; या

(2) जंगम संपत्ति का पण्यम् या गिरवी, जहां ऐसा निक्षेप, गिरवी, उधार में अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाये जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में की गयी है,-

(क) यदि ऐसा उधार या ऋण, मांग पर या ऐसे समय पर, जो करार या हक विलेखों के निक्षेप के सबूत को साक्ष्यित करने वाली लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक है, प्रतिसंदेय है;	उधार या ऋण की रकम का 0.1 प्रतिशत।

(ख) यदि ऐसा उधार या ऋण ऐसे समय पर प्रतिसंदेय है जो ऐसी लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक नहीं है। छूट: कृषि उपज के पण्यम या गिरवी की कोई लिखत यदि वह अननुप्रमाणित हो।	प्रतिभूत रकम के लिए खण्ड (क) के अधीन संदेय शुल्क का आधा।
7. से 43. xx xx	xx
44. धारा 2 (xxx) में यथापरिभाषित मुख्तारनामा जो परोक्षी नहीं है,-	
(क) जब वह एक ही संव्यवहार में संबंधित एक या अधिक दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण उपाप्त करने के एक मात्र प्रयोजन के लिए या ऐसी एक या अधिक दस्तावेजों का निष्पादन स्वीकृत करने के लिए निष्पादित किया गया है;	पचास रुपये।
(ख) जब वह एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को खण्ड (क) में वर्णित मामले से भिन्न किसी एक ही संव्यवहार में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;	पचास रुपये।
(ग) जब वह पांच से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्त: और पृथकत: एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणत: कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;	एक सौ रुपये।
(घ) जब वह पांच से अधिक किन्तु दस से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्त: या पृथकत: एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणत: कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;	एक सौ रुपये।
(ङ) से (च) xx xx	xx
45. से 47. xx xx	xx
48. निर्मुक्ति अर्थात् कोई लिखत जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिए धारा 26(2) द्वारा उपबंध किया गया है जिसके द्वारा कोई सह-स्वामी, सह-अंशधारी या सहदायिक	

अपना हित, अंश, भाग या दावा अन्य सहस्वामी, सह-अंशधारी या सहदायिक के पक्ष में त्याग देता है,-	
(क) यदि पैतृक संपत्ति या उसके किसी भाग का निर्मुक्ति विलेख भाई या बहिन (त्यागने वाले माता-पिता के बच्चे) या पुत्र या पुत्री या पूर्वमृत पुत्र का पुत्र या पूर्वमृत पुत्र की पुत्री या पिता या माता या त्यागने वाले की पत्नी या पति या उपर्युक्त नातेदारों के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा या उनके पक्ष में निष्पादित किया जाये।	एक सौ रुपये।
(ख) किसी अन्य मामले में	वही शुल्क जो त्यागे गये अंश, हित, भाग या दावे के बाजार-मूल्य के बराबर रकम के लिए हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।

49. से 58. XX XX XX

XX XX XX XX

6. राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 14) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

56. उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण.- (1) इस अध्याय के अन्य उपबंधों और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर, ऐसी दरों पर उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा, जो माल के विक्रय या क्रय कीमत के छह प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये।

(2) XX XX XX

XX XX XX XX

Confidential

Bill No. 6 of 2015

(Authorized English Version)

THE RAJASTHAN FINANCE BILL, 2015

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999, the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990, the Rajasthan State Road Development Fund Act, 2004, the Rajasthan Stamp Act, 1998 and the Rajasthan Finance Act, 2014 in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2015-16 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2015.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 3, 7, 8, 12 and 13 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

3. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 24 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of sub-section (5), the punctuation mark ":" shall be substituted;

(ii) after the sub-section (5), so amended, and before the existing sub-section (6), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the assessment for the year 2012-13 shall be made upto 30.06.2015.".

4. Insertion of section 80A, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- After the existing section 80 and before the existing section 81 of the principal Act, the following shall be inserted, namely.-

"**80A. Liability to furnish information by certain persons.-** (1) Any person who-

(i) effects sale or purchase within the State of Rajasthan, or places offer for sale or purchase so as to be accessible, visible or audible within the State of Rajasthan, through electronic media; or

(ii) transports, receives for transportation or delivers goods in pursuance of sale or purchase effected within the State of Rajasthan through electronic media; or

(iii) receives any amount in connection with the goods sold or purchased within the State of Rajasthan through electronic media, whether for himself or on behalf of the seller or purchaser,

shall furnish or cause to be furnished, such information, for such period, in such manner, and within such time, to such officer or authority, as may be notified by the Commissioner.

(2) Any person who fails to furnish information within the period notified under sub-section (1) shall be liable to pay by way of penalty a sum not exceeding rupees one lac, and in case of a continuing default, a further penalty of rupees one thousand for every day of such continuance.".

CHAPTER III
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS ACT, 1999

5. Amendment of section 12, Rajasthan Act No. 13 of 1999.- For the existing sub-sections (1) and (2) of section 12 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(1)(a) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and manner, and within such time and with such late fee, not exceeding fifty

thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner.

(b) Any person or a dealer as may be required by a notice to do so by the assessing authority or by an officer authorized by the Commissioner in this behalf, shall furnish return for such period in such form and manner and within such time as may be specified.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the Commissioner is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, he may, by a notification in the Official Gazette, extend the date of submission of the returns or may dispense with the requirement of filing any or all the returns by a dealer or class of dealers.".

6. Amendment of section 35, Rajasthan Act No. 13 of 1999.- In section 35 of the principal Act,-

(i) the existing clause (a) of sub-section (1) shall be deleted;

(ii) for the existing clause (a) of sub-section (2),the following shall be substituted, namely:-

"(a) wilfully submits an untrue return; or".

CHAPTER IV
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990

7. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- In sub-section (1) of section 2 of the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) in clause (i), after the existing expression "entertainment," and before the existing expression "extra beds", the expression "spa, massage," shall be inserted; and

(ii) after the existing clause (j) and before the existing clause (k), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ja) "marriage hall" means a hotel, where a residential accommodation or a space is provided by way of business generally for the purpose of organising functions related to marriage;".

8. Insertion of section 4A, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- After the existing section 4 and before the existing section 5 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"**4A. Payment of lump sum in lieu of tax.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may provide an option for payment of tax in a lump sum in respect of luxuries provided in such marriage hall on such terms and conditions as may be notified by the State Government.

(2) The tax in lump sum specified in sub-section (1) shall not exceed the limit of maximum tax liability as provided in sub-section (1) of section 4.".

9. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- For the existing sub-section (1) of section 16 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(1) Every registered hotelier shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and manner, and within such time and with such late fee, not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the Luxury Tax Officer or to the officer authorized by the Commissioner.".

10. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- The existing sub-section (2) of section 21 of the principal Act, shall be deleted.

CHAPTER V
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT FUND ACT, 2004

11. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 13 of 2004.- In sub-section (2) of section 3 of the Rajasthan State Road Development Fund Act, 2004 (Act No. 13 of 2004), for the existing expression "one rupee", the expression "three rupees" shall be substituted.

CHAPTER VI
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

12. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999),-

(i) in Article 3, for the existing expression "One hundred rupees.", appearing under Column No. 2, the expression "Three hundred rupees." shall be substituted;

(ii) in Article 4, for the existing expression "Ten rupees.", appearing under Column No. 2, the expression "Twenty rupees." shall be substituted;

(iii) in clause (d) of Article 5, for the existing expression "0.1 % of the amount of loan or debt.", appearing under Column No. 2, the expression "0.15 % of the amount of loan or debt." shall be substituted;

(iv) in clause (a) of Article 6 , for the existing expression "0.1 percent of the amount of loan or debt.", appearing under Column No. 2, the expression "0.15 percent of the amount of loan or debt." shall be substituted;

(v) after the existing Article 13 and before the existing Article 14, the following shall be inserted, namely:-

"**13-A. Bank Guarantee**, that is to say, guarantee deed executed by a bank as a surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of a liability.	0.25 percent of the amount secured subject to maximum of rupees 25000/-.";

(vi) after the existing Article 35 and before the existing Article 36, the following shall be inserted, namely:-

"**35-A. Licence** relating to arms or ammunitions, that is to say, document evidencing the licence or renewal of licence relating to arms or ammunitions under the provisions of the Arms Act, 1959 (Central Act No. 54 of 1959),-	
(a) Licence relating to following arms:-	
(i) Revolvers or pistols	Three thousand rupees.
(ii) Rifles	One thousand five hundred rupees.
(iii) DBBL Weapons	One thousand rupees.
(iv) SBBL Weapons	One thousand rupees.
(v) ML Weapons	Five hundred rupees.
(b) Licence relating to arms or ammunitions on following	

http://finance.rajasthan.gov.in

	Forms as set out in Schedule III to the Arms Rules, 1962:-	
	(i) Form XI	Ten thousand rupees.
	(ii) Form XII	Ten thousand rupees.
	(iii) Form XIII	Five thousand rupees.
	(iv) Form XIV	Three thousand rupees.
(c)	Renewal of licence relating to following arms:-	
	(i) Revolvers or pistols	One thousand rupees.
	(ii) Rifles	Seven hundred fifty rupees.
	(iii) DBBL Weapons	Five hundred rupees.
	(iv) SBBL Weapons	Five hundred rupees.
	(v) ML Weapons	One hundred rupees.
(d)	Renewal of licence relating to arms or ammunitions on following Forms as set out in Schedule III to the Arms Rules, 1962:-	
	(i) Form XI	Three thousand rupees.
	(ii) Form XII	Three thousand rupees.
	(iii) Form XIII	Two thousand rupees.
	(iv) Form XIV	One thousand rupees.”;

(vii) in clause (a) of Article 44, for the existing expression “Fifty rupees.”, appearing under Column No. 2, the expression “One hundred rupees.” shall be substituted;

(viii) in clause (b) of Article 44, for the existing expression “Fifty rupees.”, appearing under Column No. 2, the expression “One hundred rupees.” shall be substituted;

(ix) in clause (c) of Article 44, for the existing expression “One hundred rupees.”, appearing under Column No. 2, the expression “Two hundred rupees.” shall be substituted;

(x) in clause (d) of Article 44, for the existing expression “One hundred rupees.”, appearing under Column No. 2, the expression “Two hundred rupees.” shall be substituted; and

http://finance.rajasthan.gov.in

(xi) for the existing clause (a) of Article 48, the following shall be substituted, namely:-

"(a) where the release deed is executed by or in favour of a family member. **Explanation.-** "family member" means husband, wife, son, daughter, father, mother, brother, sister, wife or children of predeceased brother, husband or children of predeceased sister, wife of a predeceased son and children of a predeceased son or predeceased daughter.".	Five hundred rupees.

CHAPTER VII
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2014

13. Amendment of section 56, Rajasthan Act No. 14 of 2014.- In sub-section (1) of section 56 of the Rajasthan Finance Act, 2014 (Act No. 14 of 2014), after the existing expression "purchase of such goods" and before the existing expression ", at such rates", the expression "by such dealer" shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

Sub-section (5) of Section 24 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 provides that assessments should be made within two years from the end of the relevant year. Large number of cases of mismatch of Input Tax Credit has occurred in the assessment year 2011-12. In order to minimise the cases of mismatches of Input Tax Credit in assessments for the assessment year 2012-13, opportunity was given to dealers to view their returns and ITC mismatch and then to revise their returns to reduce mismatch. For this purpose, last date of filing of returns and revision of returns for the year 2012-13 was extended up to 15th September, 2014. This has caused delay in starting the assessments for the year 2012-13. Therefore the time limit for the assessment of the year 2012-13 has been proposed to be extended from 31.03.2015 to 30.06.2015.

Due to the advancement in information technology, e-commerce has become an important mode of sale or purchase of goods. With a view to collect information regarding such businesses so that liability to tax under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 may be ascertained, an enabling provision is sought to be made. Accordingly, a new section 80A is proposed to be inserted in the said Act.

THE RAJASTHAN TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS ACT, 1999

With a view to have common return under the different Acts administered by the Commercial Tax Department and to have uniformity in the process of filing of return with the provisions of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, amendments in section 12 and 35 of the Rajasthan Tax on the Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 are proposed.

THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990

Presently luxuries provided in a Marriage Halls are taxable under the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 as the marriage hall falls within the definition of Hotel under clause (g) of sub-section (1) of section 2 of the said Act. In order to provide for an option of composition of tax to the proprietors of marriage halls, an enabling provision is sought to be made as well as the word ‘marriage hall’ is also proposed to be defined. Accordingly a new clause (ja) in sub-section (1) of section 2 and a new section 4A are proposed to be inserted.

The services of spa and massage are also being provided by the hotels, therefore it has been proposed to include spa and massage in the definition of luxury provided in a hotel.

With a view to have common return under the different Acts administered by the Commercial Tax Department and to have uniformity in the process of filing of return with the provisions of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, amendment in sections 16 and 21 of the said Act has been proposed.

THE RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT FUND ACT, 2004

Sub-section (2) of section 3 of the Rajasthan State Road Development Fund Act, 2004 provides the maximum limit of rate of cess under the said Act. Presently the maximum limit of rate of cess is one rupee per litre. The maximum rate is proposed to be raised to three rupees per litre. Accordingly sub-section (2) of section 3 of the said Act is proposed to be amended.

THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

Article 3 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to increase the stamp duty on the Adoption Deed from one hundred rupees to three hundred rupees.

Article 4 of the Schedule to the said Act is proposed to be amended to increase the stamp duty on the Affidavit from ten rupees to twenty rupees.

Clause (d) of Article 5 of the Schedule to the said Act is proposed to be amended to increase the rate of stamp duty on an agreement or memorandum of an agreement relating to secure the repayment of a loan or debt made by a bank or Finance Company from 0.1 percent to 0.15 percent of the amount of loan or debt.

Clause (a) of Article 6 of the Schedule to the said Act is proposed to be amended to increase the rate of stamp duty on an agreement or any other document relating to the deposit of title deeds, pawn or pledge by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt if such loan or debt is repayable on demand or more than three months from the date of the instrument evidencing the agreement or proof of deposit of title deeds, from 0.1 percent to 0.15 percent.

A new Article 13-A is proposed to be inserted in the Schedule to the said Act to provide for a separate and specific rate of stamp duty on Bank Guarantee executed by a Bank as a surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of a liability.

A new Article 35-A is proposed to be inserted in the Schedule to the said Act to provide for stamp duty on document evidencing the licence or renewal of licence relating to arms or ammunitions under the provisions of the Arms Act, 1959.

Article 44 of the Schedule to the said Act is proposed to be amended to increase the rate of stamp duty on power of attorney-

(a) when executed for the sole purpose of procuring the registration of one or more documents in relation to a single transaction or for admitting execution of one or more such documents from fifty rupees to one hundred rupees;

(b) when authorising one person or more to act in single transaction other than the case mentioned in clause (a) from fifty rupees to one hundred rupees;

(c) when authorising not more than five persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally from one hundred rupees to two hundred rupees;

(d) when authorising more than five persons but not more than ten persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally from one hundred rupees to two hundred rupees.

Clause (a) of Article 48 of the Schedule to the said Act is proposed to be substituted to increase the stamp duty from rupees 100/- to rupees 500/- as well as to define family members so as to clearly specify the relatives, a Release Deed executed in favour of whom shall be eligible to be stamped at the rate specified in the said clause.

THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2014

Section 56 of the Rajasthan Finance Act, 2014 empowers the State Government to levy Infrastructure Development Cess on sale or purchase of specified goods and at specified rate, but it does not empower the State Government to levy cess on specified class of dealers. Therefore, an enabling provision has been proposed to empower the State Government to levy cess on specified class of dealers.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश

[सं.प.12(23)वित्त/कर/2015 दिनांक 09.03.2015

प्रेषक: श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर]

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2015 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित और प्रचलित किये जाने की सिफारिश की है।

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 5 of the Bill, which seeks to substitute sub-section (1) of section 12 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999, shall, if enacted, empower the State Government to prescribe the period, form, manner and time in which return shall be furnished by a registered dealer and the late fees which shall be payable for delayed furnishing of returns.

Clause 9 of the Bill, which seeks to substitute sub-section (1) of section 16 of the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990, shall, if enacted, empower the State Government to prescribe the period, form, manner and time in which return shall be furnished by a registered hotelier and the late fees which shall be payable for delayed furnishing of returns.

The delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

1. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003
(Act No. 4 of 2003)

XX XX XX XX

24. Assessment.- (1) to (4) XX XX XX

(5) No assessment order under this section shall be passed after the expiry of two years from the end of the relevant year. However, the Commissioner may for reasons to be recorded in writing, extend such time limit in any particular case by a period not exceeding six months.

(6) XX XX XX

XX XX XX XX

2. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS ACT, 1999
(Act No. 13 of 1999)

XX XX XX XX

12. Returns and Assessment.- (1) Every registered dealer and such other person as may be required by notice to do so by the assessing authority shall furnish a return to the assessing authority at such intervals within such period and in such manner containing such particulars as may be prescribed.

(2) Before any dealer submits any return under sub-section (1), he shall deposit tax payable by him on the basis of his books of accounts reduced by any tax already paid under the provisions of this Act and shall furnish along with the return satisfactory proof of the payment of such tax and after the final assessment is made, the amount of tax so paid shall be deemed to have been paid towards the tax finally assessed.

(3) to (9) XX XX XX

XX XX XX XX

35. Offences and penalties.- (1) Where any person,-

(a) being a dealer in goods fails to submit a return as required by the provisions of this Act or the Rules made thereunder; or

(b) being a person obliged to get himself registered under this Act does not get himself so registered; or

(c) fails to pay within the time allowed any tax assessed on him or any penalty levied on him under this Act; or

(d) fails to keep true and complete accounts of import of goods into the local areas; or

(e) fails to comply with any notice issued under the Act; or

(f) fails to submit a statement as required under the Act; or

(g) fails to issue a sale bill or cash memorandum in accordance with the provisions of section 29;

the assessing authority may direct such person to pay a penalty, which shall not be less than rupees one thousand but which may extend to rupees five thousand.

(2) Any person who,-

(a) wilfully submits an untrue return, or not being already an assessee under this Act, fails to submit a return as required by the provision of this Act or the rules made thereunder; or

(b) wilfully submits an untrue statement, required under the Act; or

(c) fraudulently evades the payments of any tax assessed on him or other amount due from him under this Act; or

(d) wilfully acts in contravention any of the provisions of this Act or the rules made thereunder;

shall on conviction, in addition to the recovery of any tax that may be due from him, be punishable with simple imprisonment which may extend to twelve months and with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees or with both and when the offence is continuing one with a daily fine not exceeding one hundred rupees during the period of the continuance of the offence.

XX XX XX XX

3. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990 (Act No. 9 of 1996)

XX XX XX XX

2. Definitions.- (1) In this Act unless the context requires otherwise,-

(a) to (h) XX XX XX

(i) "Luxury provided in a Hotel" means accommodation (such as room or other place or lawn etc. by whatever name called) and other services including air-conditioning, coolers, heaters, geysers, television, radio, music, entertainment, extra beds, linen articles and the like in a hotel, for which the rate of charges per day or part thereof is seven hundred fifty rupees or more;

Explanation.- (I) Day shall include part of the day.

(II) Room shall include the lawn.

(j) to (v) XX XX XX

(2) to (16) XX XX XX

XX XX XX XX

16. Filing of return.- (1) Every registered hotelier shall furnish return for such period, in such form and manner, within such time, and to such authority, as may be prescribed.

(2) to (3) XX XX XX

XX XX XX XX

21. Imposition of Penalties.- (1) XX XX XX

(2) If the Luxury Tax Officer in the course of any proceeding under this Act, is satisfied that any hotelier has without reasonable cause failed to furnish the return under sub-section (1) of section 16 within the time allowed, he may direct that such hotelier shall pay by way of penalty in addition to the amount of the tax, if any, payable by him, rupees five per day for the period during which the default in furnishing of such return continues but not exceeding in the aggregate twenty-five percent of the tax assessed for the period to which the return relates.

(3) to (8) XX XX XX

XX XX XX XX

4. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT FUND ACT, 2004
(Act No. 13 of 2004)

XX XX XX XX

3. Levy and collection of cess.- (1) XX XX XX

(2) The cess leviable under sub-section (1) shall be at such single point in the series of successive sales in the State, as may be prescribed and shall be levied at such rates, not exceeding one rupee per litre, as may be notified by the State Government in the Official Gazette.

(3) to (5) XX XX XX

XX XX XX XX

5. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998
(Act No. 14 of 1999)

XX XX XX XX

THE SCHEDULE
(See Section 3)

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
1	2
1. to 2. XX XX XX	

3.	**Adoption Deed**, that is to say, any instrument (other than a will) recording an adoption or conferring or purporting to confer any authority to adopt.	One hundred rupees.
4.	**Affidavit** including an affirmation or declaration in the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing. **Exemptions:** Affidavit or declaration in writing when made,- (a) as a condition of enrolment in the Indian Army or the Indian Air Force; (b) for the immediate purpose of being filed or used in any court or before the officer or any court; or (c) for the sole purpose of enabling any person to receive any pension or charitable allowance.	Ten rupees.
5.	**Agreement or memorandum of an agreement-**	
	(a) to (c) XX XX XX	
	(d) if relating to secure the repayment of a loan or debt made by a bank or Finance Company;	0.1% of the amount of loan or debt.
	(e) to (g) XX XX XX	
6.	**Agreement or any other document (memorandum etc.) relating to the deposit of title deeds, pawn or pledge** i.e. any documentary proof relating to:- (1) the deposit of title-deeds or instruments constituting or being evidence of the title to any property whatever, other than a marketable security, or (2) the pawn or pledge of movable property, where such deposit, or pledge has been made by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt,-	
	(a) if such loan or debt is repayable on	0.1 percent of the

demand or more than three months from the date of the instrument evidencing the agreement or proof of deposit of title deeds.	amount of loan or debt.
(b) if such loan or debt is repayable not more than three months from the date of such instrument.	Half the duty payable under clause (a) for the amount secured.
Exemption: Instruments of pawn or pledge of agricultural produce, if unattested.	
7. to 43. XX XX	XX
44. Power of Attorney- (as defined by section 2(xxx), not being a Proxy,-	
(a) when executed for the sole purpose of procuring the registration of one or more documents in relation to a single transaction or for admitting execution of one or more such documents;	Fifty rupees.
(b) when authorising one person or more to act in single transaction other than the case mentioned in clause (a);	Fifty rupees.
(c) when authorising not more than five persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally;	One hundred rupees.
(d) when authorising more than five persons but not more than ten persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally;	One hundred rupees.
(e) to (f) XX XX	XX
45. to 47. XX XX	XX
48. Release, that is to say any instrument, (not being such a release as is provided for by section 26(2), whereby a co-owner, co-sharer or co-parcener renounces his interest, share, part or claim in favour of another co-owner, co-sharer or co-parcener,-	
(a) If the release deed of an ancestral property or part thereof is executed by or in favour of brother or sister (children of renouncer's parents) or son or daughter or son of predeceased son or daughter of a	One hundred rupees.

	predeceased son or father or mother or spouse of the renouncer or the legal heirs of the above relatives.	
(b)	in any other case.	Same duty as on conveyance (No. 21) for the amount equal to the market value of the share, interest, part or claim renounced.

49. to 58. XX XX XX

XX XX XX XX

6. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2014 (Act No. 14 of 2014)

XX XX XX XX

56. Levy and collection of cess.- (1) Subject to the other provisions of this Chapter and the provisions of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No.74 of 1956), with effect from such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify, there shall be levied and collected a cess on sale or purchase of such goods, at such rates, not exceeding six per cent of the sale or purchase price of the goods, as may be notified by the State Government.

(2) XX XX XX

XX XX XX XX